# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस**

प्रकरण संख्याः— **25/2018 अपील (राजस्व)**

1. श्री डुलेसिंह पिता डूंगरसिंह जी राजपूत निवासी केमरी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री भीमसिंह पिता डूंगरसिंह जी राजपूत निवासी केमरी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री भवानीसिंह पिता डूंगरसिंह जी राजपूत, निवासी केमरी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्टगण

**बनाम**

1. श्री भागचन्द उर्फ भागा पिता मोड़ा जी गुर्जर निवासी केमरी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) मृतक के बजायः—

1/1 श्री देवीलाल पिता स्वर्गीय श्री भागचन्द जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2 श्रीमती नारायणी पुत्री स्वर्गीय श्री भागचन्द जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3 श्रीमती गंगाबाई पुत्री स्वर्गीय श्री भागचन्द जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/4 श्रीमती जानीबाई पुत्री स्वर्गीय श्री भागचन्द जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/5 श्रीमती कमलाबाई पुत्री स्वर्गीय श्री भागचन्द जी गुर्जर, निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. श्री देवीलाल पिता मोड़ा जी गुर्जर निवासी केमरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956**
**बनाराजगी उप तहसीलदार कुराबड़ आदेश दिनांक 12.08.2014**
**प्र.सं. 02/2013 ना.क.**

उपस्थित : श्री कन्हैयालाल चौर्डिया, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री मन्नाराम डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण

# निर्णय

दिनांकः— 01.07.19

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि ग्राम केमरी तहसील गिर्वा पंचायत हल्का शीशवी जिला उदयपुर के खाता संख्या पुरानी 58 एवं नयी 188 में स्थित है जिसके आराजी संख्या 370, 372 से 380, 389, 390, 391, 416 कुल किता 14 रकबा 2.7750 हैक्टर होकर अपीलान्टगण के बाप दादाओ की भूमि हैं। उस पर अपीलान्टगण काबिज हो उक्त आराजी भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उक्त आराजीयात में से आराजी संख्या 416 के अलावा अन्य सभी आराजीयात एक चक रूप में हैं। आराजी संख्या 416 व दुसरी आराजीयात के बीच में आराजी संख्या 384 जो बिलानाम दर्ज हैं। उक्त आराजी में से आराजी संख्या 512/416 में से होकर अपनी भूमि पर बाप दादाओ के समय से अपीलान्टगण एवं गॉव के अन्य लोग भी आते जाते रहे हैं। आराजी संख्या 384 रकबा 1.34 हैक्टर भूमि किस्म मगरी में से 0.4000 हैक्टर भूमि रेस्पोडेंट भागचन्द पिता मोड़ा जी गुर्जर को आवंटीत हो गयी एवं उसके नये नम्बर 549/384 डाले गये। जिसकी वजह से रेस्पोडेंट के नाम गैर खातेदारी में अंकित हुई। रेस्पोडेंटगण को उक्त भूमि आवंटीत होने के बाद रेस्पोडेंटगण उक्त भूमि पर कब्जा करने आये तो अपीलान्टगण द्वारा निवेदन किया कि इस भूमि में हमारा परम्परागत रास्ता हैं व 8 फीट चौड़ा मौके पर मौजुद हैं। इस पर रेस्पोडेंटगण ने 8 फीट रास्ता छोड़ने की सहमती दी। व उनकी सहमति से 8 फीट रास्ता जो कि बहुत पुराना था उसे दोनो पक्षो ने स्वीकार कर मौके पर रेस्पोडेंटगण सरपंच, पटवारी, इन्स्पेक्टर, उपजिला कलक्टर गिर्वा की उपस्थिति में आम जनता की उपस्थिति में रास्ता कायम किया। जिसको

अपीलान्टगण ने जेसीबी लगाकर उसको व्यवस्थित रूप से रास्ता बना दिया व उसका उपयोग उपभोग अपीलान्टगण करते चले आ रहे हैं। रास्ता कायम होने के बाद रेस्पोडेंटगण द्वारा पटवारी से मिलकर अपीलान्टगण की अपनी भूमि में आने जाने के रास्ते को बन्द कर दिया। उक्त रास्ते को पुनः खुलवाने हेतु अपीलान्टगण ने माननीय विद्ववान अधिनस्थ न्यायालय में रास्ता खुलवाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के खिलाफ निर्णय पारित किया। जिसकी अपील अपीलान्टगण द्वारा श्रीमान के समक्ष पेश की गई जिसमें प्रकरण रिमाण्ड होकर अधिनस्थ न्यायालय में भिजवाया गया। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में बिना पत्रावली का अवलोकन फरमाये असत्य आधार पर अपीलान्टगण के खिलाफ निर्णय फरमा दिया जो कि कतई न्यायोचित नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो मौके की विधिवत जॉच की गई नाही विधिवत कार्यवाही की गई। अधिनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश की गई जिसका भी अवलोकन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं फरमाया गया।

अपीलार्थी की अपील पर उभयपक्ष को विधिवत सुना जाकर न्यायालय हाजा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 164/14 अपील निर्णय दिनांक 30.05.16 से यह आदेश पारीत किया गया कि आराजी संख्या 384 जो कि बिलानाम सरकार थी उसमें से 0.4000 हैक्टर भूमि विपक्षी भागचन्द पिता मोड़ा जी गुर्जर को विधिवत आवंटित हुई जो वर्तमान में विपक्षीगणो के नाम खातेदारी से दर्ज हैं। खातेदारी की भूमि में अपीलार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील खारीज की गई।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 55/16 (उदयपुर ऑर्डर) निर्णय दिनांक 10.07.18 से न्यायालय के

आदेश दिनांक 30.05.16 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्ट को सुनवाई को पुर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यो को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में विधिक निर्णय पारीत करें।

प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारानो को नये सीरे से सुना गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपतहसीलदार कुराबड़ से मौके की रिपोर्ट नये सीरे से मांगी गई। जो शामिल पत्रावली हैं।

उपस्थित अधिवक्ताओ को सुना गया।

उपस्थित विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 416 पर कदीम से आराजी संख्या 384 बिलानाम व आराजी संख्या 512/416 में से होकर आते जाते रहे हैं। हमारे बाप दादा भी यही से आते जाते रहे हैं। परन्तु बिलानाम आराजी संख्या 384 रकबा 1.31 हैक्टर में से 0.4000 हैक्टर विपक्षी भागचन्द पिता मोड़ा को दिनांक 25.07.05 को आवंटन हुई। जिसके नये नम्बर 549/384 होकर गैर खातेदारी से दर्ज हुई। वक्त आवंटन 8 फीट रास्ता छोड़ा गया। जो प्रथम दृष्ट्या विपक्षी को आवंटित भूमि के नक्शा ट्रेस से भी स्पष्ट जाहीर होता हैं। कब्जा सिपुर्दगी के समय पटवारी हल्का द्वारा भी 8 फीट का रास्ता छोड़ा गया था। परन्तु कुछ समय उपरान्त विपक्षीगण द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग कर रास्ता बन्द कर दिया। जिस पर पूर्व में मेरे द्वारा न्यायालय में की गई अपील के आधार पर आपसी सहमति से मौके पर समझौता हुआ। जिसमें विपक्षीगण द्वारा मौके पर 8 फीट का रास्ता छोड़ा गया। जो वर्तमान में बन्द कर दिया गया। इस रास्ते का उपयोग श्मशान में जाने हेतु भी किया जाता रहा हैं। कानुनन ऐसे रास्ते जिनका उपयोग खेतो पर जाने हेतु कदीम से किया जाता रहा हैं चाहे उनका रेकार्ड में अंकन नहीं हैं। तो भी उसे बन्द नहीं किया

जा सकता हैं। धारा 251 के तहत ऐसे रास्ते को कायम रखवाये जाने का पुरा अधिकार हैं। इस प्रकरण में पूर्व में विवादीत भूमि बिलानाम थी। जो बाद में विपक्षीगणो को आवंटन हुई। यह भूमि उनकी खातेदारी भूमि पूर्व से नहीं रही हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण रास्ते को बन्द नहीं कर सकते है नाही प्रार्थी को जाने से रोक सकते हैं। अतः कृपया निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षीगणो द्वारा बन्द किये गये रास्ते को पुनः खोले जाने का आदेश प्रदान करें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी आराजी संख्या 416 पर जाने हेतु तीन तरफ रास्ते उपलब्ध हैं। महज जलील व परेशान करने हेतु रेस्पोडेंटगणो के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही हैं। रेस्पोडेंटगण गरीब काश्तकार हैं। जिनकी भूमि अपीलान्ट हड़पना चाहता हैं। पुलिस पटवारी की मदद से फर्जी समझौता पत्र तैयार किया गया जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। नाही ऐसे समझौते को मान्यता दी जा सकती हैं। अपीलार्थी खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। चुंकी अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में जाने हेतु पुर्व से ही तीन रास्ते उपलब्ध हैं। जिनका उपयोग उसके द्वारा लम्बे समय से किया जा रहा हैं। पूर्व में भी इस भूमि में मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपतहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नवीन रिपोर्ट का भी अवालोकन किया गया। उपतहसीलदार द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि के संबंध में विस्तृत ट्रेस नजरी नक्शा गुगल मेप का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या इनको देखने पर यह प्रतित होता है कि आराजी संख्या 416 पर जाने हेतु पक्की सड़क पिण्डोलिया से बाठेड़ा की

तरफ जाने वाली सड़क से आराजी से पहूॅचा जा सकता हैं। साथही आराजी संख्या 384 में से जो विपक्षीगणो को अलोट हुई है रेस्पोडंटगण के नाम जमीन आराजी संख्या 549/384 जिसमें से अपीलान्ट जाने हेतु रास्ता चाहता हैं। उक्त आराजी में पूर्व से कोई रास्ता भी दर्ज होना प्रतित नहीं हो रहा हैं। नजरी नक्शे में बिलानाम आराजी संख्या 500/411 का कुछ हिस्सा जो कि अपीलान्ट की खातेदारी आराजी संख्या 416 व पक्की सड़क के बीच में लगी हुई है उस पर भी खातेदार 416 द्वारा अतिक्रमण बताया गया है यानिकी इस भू भाग पर भी अपीलान्ट का कब्जा हैं। अपीलान्ट द्वारा विपक्षी संख्या 1 स्वर्गीय भागचन्द पिता मोड़ा जी गुर्जर को आराजी संख्या 384 में रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि का जो आवंटन हुआ था। आवंटन के वक्त कब्जा सिपुर्दगी में जो ट्रेस बनाया गया था उसकी भी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई हैं। जिससे यह पता लगता हो की कब्जा सिपुर्दगी के समय आराजी संख्या 549/384 में से जाने हेतु रास्ते की भूमि छोड़ी गई थी। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.07.18 में यह विवेचना की गई की आपसी समझौते को अमान्य कर दिया गया। इस बाबत् संलग्न पत्रावली समझौते पत्र की छायाप्रति का अवलोकन करने पर जाहीर आया कि समझौते पत्र पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है नाही तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। मात्र पटवारी एवं थानाधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इस समझौता पत्र पर उपतहसीलदार कुराबड़ के भी हस्ताक्षर नहीं है नाही निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट द्वारा कोई नया साक्ष्य सबुत या दस्तावेजी नया सबुत प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मानना है कि अपीलान्ट की आराजी संख्या 416 पर जाने हेतु 2 और रास्ते वर्तमान में स्थित है जिनका उपयोग अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में किया जा रहा

हैं। वर्तमान में खातेदारी भूमि से रास्ता चाहता हैं। जो प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती हैं।

निर्णय प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पुनः लौटायी जावें।

प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
**जिला कलक्टर**
**उदयपुर**